न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0 13 / 2025 | तारीख दायरा 10.01.2025 | तारीख फैसला 15-9-2025

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कस्तूरचन्द आत्मज गंगाराम जाति मीणा
2. हीरालाल आत्मज गंगाराम जाति मीणा
3. जवाहरीलाल आत्मज गंगाराम जाति मीणा
4. सुशीला पत्नी जवाहरीलाल जाति मीणा

निवासीगण ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1– मोहनीबाई पत्नी बजरंगलाल जाति माली निवासी ढाबा हाल निवासी चम्बल कोलोनी के पास सीमलिया तहसील दीगोद जिला कोटा।

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता खुलासा कराये जाने हेतु

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थीगण की शामलाती खाते में अन्य भूमियों के साथ ख0न0 104 की 1.24 है भूमि स्थित चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्तकार बहैसियत खातेदार चले आ रहे हैं। नकल जमाबंदी संलंग्न है।

2. यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में ख0न0 100 की भूमि स्थित चली आ रही है उसके बाद आम रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु ख0न0 100 की पश्चिम मेड पर होते हुए काफी समय से ख0न0 104 पर पहुंचते चले आ रहे हैं और इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण व उसे पूर्व अपने खेत पर आते जाते रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि ख0न0 100 की भूमि प्रतिपक्षी न0 1 के खाते की भूमि है जिसके पश्चिमी में पर होकर प्रार्थीगण अपने उक्त खेत पर आते जाते रहे हैं जिसका उपयोग पिछले कई वर्षों से रास्ता के रूप में उपयोग आ रही है। उक्त पश्चिमी मेकड पर होकर अपने ट्रेक्टर ट्रोली लाते व ले जाते रहे है।

4. यह कि प्रतिपक्षी न0 1 प्रार्थीगण को उपरोक्त पश्चिमी मेड पर कदीमी रूप से बने हुए रास्ते से होकर अपने खेत पर आने जाने में भी व्यवधान पैदा करते हैं। जिसका कि प्रतिपक्षी न0 1 को प्रार्थीगण के उक्त खेत में जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने व उसे हांक देने व रास्ते को बन्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

5 यह कि प्रतिपक्षी न0 1 ने उक्त पूर्व कदीमी रास्ते को हांक कर बन्द कर दिया है जिससे रास्ता हमेशा के लिए अवरूद्ध हो गया हैं। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण के लिये रास्ता छोडने हेतु दिनांक 01.08.2020 को निवेदन किया तो प्रतिपक्षी न0 1 नहीं मानी और जबरन प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया।

6. उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं प्रतिपक्षी न0 1 आये दिन रास्ते को लेकर लडाई झगडा करती रही है। उक्त रास्ता कदीमी बना हुआ है जिस पर प्रार्थीगण आते जाते है व अपने वाहन व कृषि यंत्रों को लाते व ले जाते हैं। उक्त रास्तें से होकर प्रार्थीगण आने जाने का कदीमी सुखाधिकार प्राप्त

7. यह कि प्रतिपक्षी न0 1 ने भूमि ख0न0 100 की मेड पर बने रास्ते को हांक कर अवरूद्ध कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने में परेशानी हो रही है तथा प्रार्थीगण अपने वाहन व कृषि यन्त्र नहीं ला सकेंगे और न अपनी फसल की सुरक्षा कर सेकेंगे और न फसल को ले सकेंगे तथा प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकेगी।

8. यह कि प्रार्थीगण राजस्थ्झान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों अनुसार डी0एल0सी0 की दोगुनी राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल कराने हेतु भी सहमत है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण प्रतिपक्षी न0 1 द्वारा दिनांक 01.08.2020 को प्रार्थीगण के खेत में आ रहे रास्ते को हांक देने, अवरूद्ध व बन्द कर देने व रास्ता खुलासा करने से इनकार करने पर पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख0न0 104 पर पहुचने हेतु प्रतिपक्षी न0 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 100 वाके ग्राम ढाबा में प्रार्थीगण को 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे। जिसका प्रार्थीगण भुगतान करने हेतु तैयार है। तहसीलदार दीगोद से उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। अन्य सहायता हो वह भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1— नकल जमा0 ग्राम ढाबा खा0 सं0 नया 174 पुराना 161 सम्वत 2071—74

2— नकल जमा0 ग्राम ढाबा खा0 सं0 नया 21 पुराना 21 सम्वत 2071—74

3— नकल जांच मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2020

4— नकल नक्शा ट्रेस ग्राम ढाबा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षीगण 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

ग में प्रतिपक्षी क्रम 2 तहसीलदार दीगोद की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जवाब व अन्य दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट अनुसार अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं होना एवं सबसे नजदीकी रास्ता ख0न0 100, 107/949 से होकर जाना स्पष्ट किया है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने एवं कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने हेतु खसरा नम्बर 100 व ख0न0 107/949 में होते हुये 13 फीट चोड़ा रास्ते को कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी कस्तूरचन्द पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा को प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 104 भूमि पर पहुंचने के लिये गै0 मु0 रास्ते से खसरा न0 107/949 व ख0न0 100 में होते हुये 13 फीट चोड़ा रास्ते हेतु प्रार्थी के रास्ते के उपयोग एवं उपभोग में आयी भूमि का नियमानुसार माप करते हुए प्रतिपक्षीगण को डी0एल0सी0 दर का दुगना से मुल्यांकन किया जाकर नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावे, तथा नियमानुसार प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करते हुए नक्शा में दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)